1

2

3

4

5

6

7
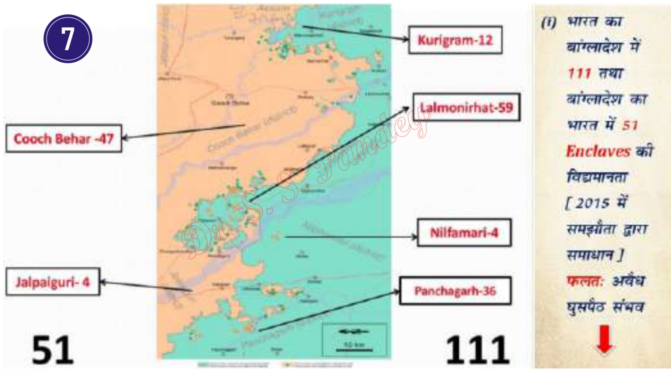


8
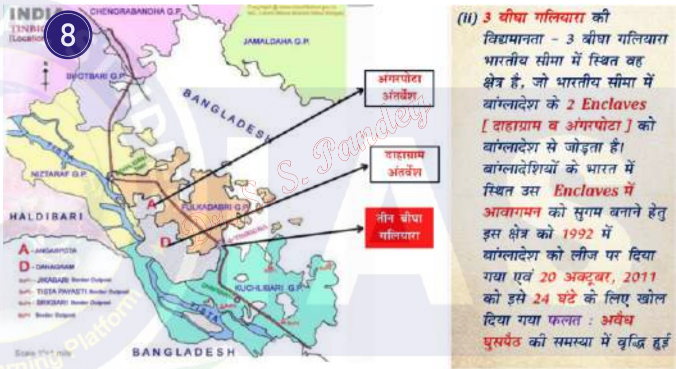


9
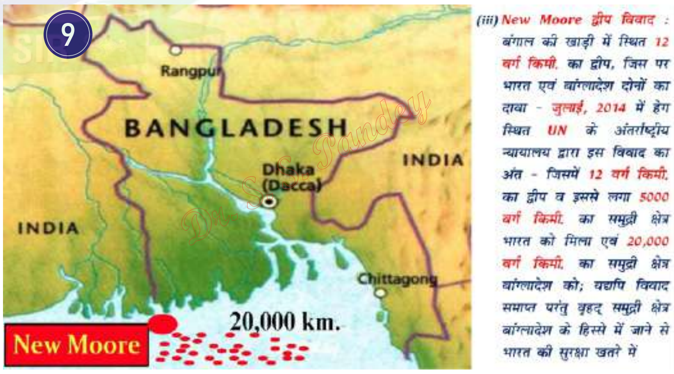


10

2. तस्करी की समस्या मुख्यत: हथियार, नकली नोट, मानव एवं गौ की तस्करी

(9 Jan 2018 – BSF की Report – बांग्लादेश से प्रत्येक वर्ष 50,000 लड़कियों की भारत में तस्करी)

3. अवैध घुसपैठ की समस्या– (2016 तक– 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में)

(i) असम के कोकराझार एवं धुबरी में – बांग्लादेशियों की आबादी 65% एवं वहाँ के मूल निवासी 35%

(ii) 30 लाख बांग्लादेशी केवल असम में – हितेश्वर सैकिया

(iii) पाक एवं ISIS द्वारा इनका आतंकवाद में प्रयोग

4. रोहिंग्या मुस्लिमों की घुसपैठ की समस्या [17 जनवरी 2018 तक बांग्लादेश में 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी]

5. भारत में नृजातीय संघर्ष एवं अलगाववाद की समस्या का उद्भव [असम के बोडो क्षेत्र में एवं मणिपुर में]

6. भारत में उग्रवाद एवं आतंकवाद को प्रोत्साहन :

↓

(i) HUJI, जमात-ए-इस्लामी, जमात-उल-मुजाहिदीन आदि आतंकी संगठनों की गतिविधियाँ

(ii) ULFA, NSCN, NDFB आदि को हथियारों की आपूर्ति एवं शरणस्थली

7. हाल में बांग्लादेश में अतिवाद (Radicalism) / धार्मिक रूढ़िवाद में वृद्धि – जिसका भारत पर नकारात्मक प्रभाव की संभावना

11 जनवरी 2024 – शेख हसीना बनी पाँचवी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री

8. बांग्लादेश में चीन के प्रभाव एवं गतिविधियों में वृद्धि

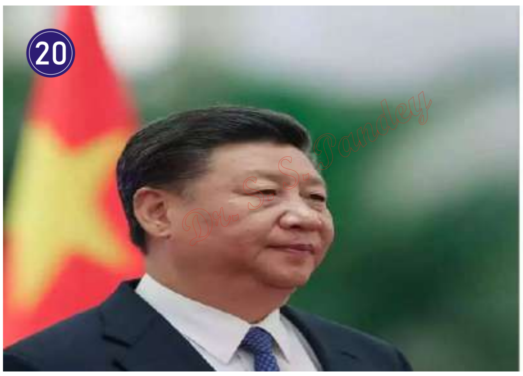


(i) 24 अक्टूबर, 2016 को 'शी जिन-पिंग' की बांग्लादेश यात्रा और 24 अरब डॉलर कर्ज देने की घोषणा

21

(ii) 2019– चीन द्वारा चिटगाँव पोर्ट का विकास

22

(iii) 1 जुलाई 2020 से लागू होने वाले बांग्लादेश - चीन समझौते के तहत चीन 97 फीसदी बांग्लादेशी उत्पादों ( 8256 उत्पादों ) पर शुल्क नहीं लगाएगा।

23

(iv) जुलाई 2020– बांग्लादेश के सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने हेतु चीन की कम्पनी के साथ समझौता

24

(v) 20 मार्च 2023– में बांग्लादेश ने 1.2 अरब डॉलर की लागत वाले एक सबमरीन बेस का उद्घाटन किया जो चीन की मदद से बनाया जा रहा है, जिस पर भारत में चिंताएं जगीं कि चीनी पीपल्स लिब्रेशन आर्मी ( पीएलए ) भारत के प्रभाव क्षेत्र में घुसने की कोशिश में है।

(अमेरिकी रक्षा विभाग की 2023 में आई एक रिपोर्ट ने भी यह चेतावनी दी )

25

(vi) जनवरी 2024 – चीन द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली तीस्ता नदी पर एक परियोजना का प्रस्ताव और बांग्लादेश द्वारा उस पर विचार - फलतः दोनों देशों के संबंधों में तनाव की संभावना

26

Dr. S. S. Pandey

भारत - बांग्लादेश सीमा सुरक्षा प्रबंधन

27

भारत - बांग्लादेश सीमा सुरक्षा प्रबंधन

| |
|---|
| कुल सीमा |
| 4,096.7 KM |
| सीमा रखवाली बल |
| BSF, (80 Btn.) |
| चेक पोस्ट की संख्या |
| 802+509 |
| बाड़बंदी |
| 3077 KM |
| समन्वित चेक पोस्ट |
| 07 |

28

A. भौतिक प्रबंधन

29

(i) BSF की 80 बटालियन की तैनाती

30

(ii) 1185 चौकियाँ + 7 समन्वित चेकपोस्ट

31

(iii) 3750 किमी. बाड़बंदी (2024 तक 4223 किमी.) एवं 48 किमी. लेजर बाड़बंदी

फ्लड लाईट 2682 किमी. सीमा पर (2024 तक 3077 किमी.)

32

(iv) 7 Floating चौकी / नौका

33

(v) 23 जनवरी, 2018 से सिलीगुड़ी के पास फूलवाड़ी में भारत-बांग्लादेश सीमा पर वाघा बॉर्डर की तरह 'ज्वाइंट रिट्रीट' प्रारंभ

34

(vi) जनवरी 2024 – भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी को रोकने के लिये मधुमक्खी बॉक्स लगाने का निर्णय

35

B. कूटनीतिक प्रबंधन

36

a. बातचीत एवं समझौता

37

1. दोनों देश की सेना एवं गृह तथा विदेश सचिवों की नियमित वार्ता एवं बैठक तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास

38

2. 2011 – भारत-बांग्लादेश सीमा प्रबंधन समझौता

39

3. 2015 – भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता

40

भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता – 2015

41

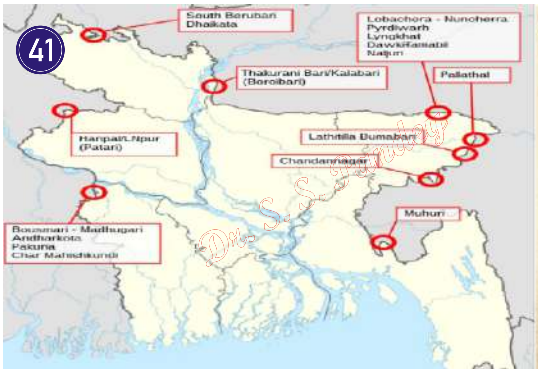


(i) 41 वर्ष से लंबित 'Land Border Agreement' पर जून, 2015 में हस्ताक्षर

46

(vi) भारत को चटगाँव बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति

42

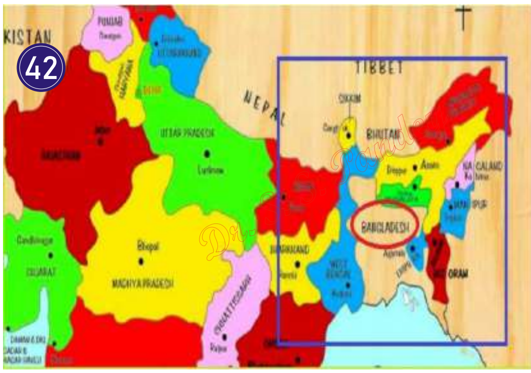


(ii) इस पर 5 राज्यों - पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के कुछ हिस्सों का बांग्लादेश के कुछ हिस्से से Exchange पर सहमति

47

(vii) भारत - बांग्लादेश को 2 अरब डॉलर की सहायता देगा

43

(iii) भारत के 111 Enclaves - 17,160 एकड़ जमीन बांग्लादेश को और बदले में 51 Enclaves 7,110 एकड़ जमीन भारत को प्राप्त, इसमें रहने वाले 51 हजार लोगों का उनकी इच्छा से दोनों देशों में पुनर्वास संभव

48

4. 29 जुलाई, 2016 - भारत - बांग्लादेश के गृह मंत्रियों का दिल्ली में बैठक एवं दो बातों पर सहमति–

(i) पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान

(ii) भारत - बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण हेतु 'ठोस सबूत' की शर्त को समाप्त किया जायेगा

44

(iv) सीमा पर तस्करी रोकने तथा आतंकवाद का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए सहमति

49

5. 8 अप्रैल, 2017 - शेख हसीना का भारत आगमन और 36 समझौतों पर हस्ताक्षर, जिसमें रक्षा समझौता भी शामिल

45

(v) 'समुद्री सुरक्षा में सहयोग' पर सहमति

50

6. 6 सितम्बर 2017 - नरेन्द्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा और 11 समझौते पर हस्ताक्षर जिनमें निम्न प्रमुख–

- समुद्री सुरक्षा सहयोग
- व्हाइट शिपिंग सुचना को साझा करना
- तटीय निगरानी प्रणाली मुहैया करने हेतु तकनीकी समझौता

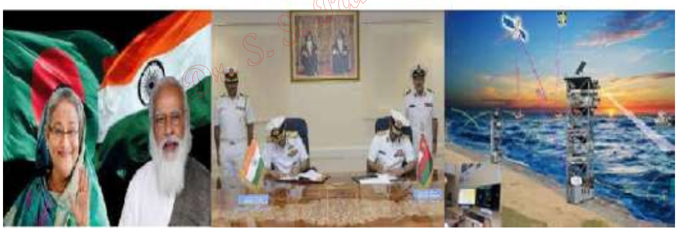

7. 17 दिसंबर 2020 – श्री नरेंद्र मोदी तथा शेख हसीना द्वारा वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन और कई मुद्दों पर सहमति, जिनमें सीमा प्रबंधन एवं सुरक्षा सहयोग भी शामिल; जैसे-

(i) बांग्लादेश ने पद्मा नदी के साथ नदी मार्ग से 1.3 किमी. 'इनोसेंट पैसेज' के लिए अपना अनुरोध दोहराया और भारतीय पक्ष द्वारा अनुरोध पर विचार करने का आश्वासन

(ii) सीमा पर सभी लंबित क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम पूरा करने पर सहमति

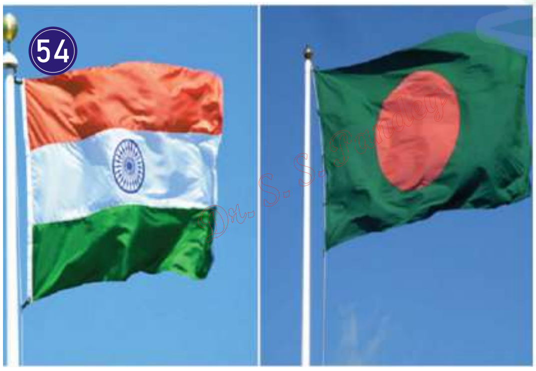


(iii) समन्वित सीमा प्रबंधन योजना के पूर्ण कार्यान्वयन पर जोर

(iv) हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा की तस्करी विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने पर बल

(v) आपदा प्रबंधन सहयोग के क्षेत्र में समझौता

(vi) सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद को समाप्त करने पर बल

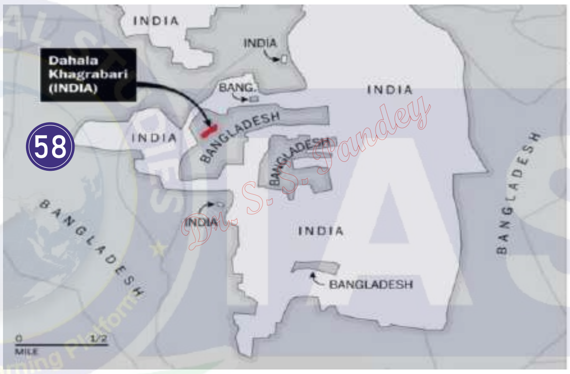


(vii) दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन को सरल बनाने पर जोर

8. 26 – 27 मार्च 2021– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बांग्लादेश के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की यात्रा (फेनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु का उद्घाटन)

9. 5-8 सितम्बर 2022– बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा और 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

61

10.
8 सितंबर 2023 – भारत एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बैठक और तीन MOU पर हस्ताक्षर

66

(iv)
2019 – CAA
↓
11 मार्च 2024 से लागू

62

b. अन्य कूटनीतिक प्रयास
↓

67

(v)
मई 2019 – भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा जमात-उल-मुजाहिदीन पर प्रतिबंध

63

(i)
1985 में 'असम समझौता' जिसमें बांग्लादेश घुसपैठियों को वापस भेजने एवं बांग्लादेश - असम सीमा सील करने पर सहमति और
↓
CAA में संशोधन

68

(vi)
मार्च 2022– भारत, बांग्लादेश और नेपाल द्वारा बांग्लादेश - भूटान - भारत - नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते (MVA) को लागू करने के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप

64

(ii)
1985 में अवैध प्रवासी अधिनियम [ SC द्वारा निरस्त ]

69

(vii) बांग्लादेश में भारत के प्रयास से अमेरिका एवं जापान की उपस्थिति द्वारा चीन को तटस्थ करने का प्रयास

65

(iii) 2018 – NRC

70

Dr. S. S. Pandey

रोहिंग्या समस्या
↓

71

**रोहिंग्या समस्या**
↓
**स्वरूप एवं प्रकृति**
↓

72

1. रोहिंग्या म्यान्मार के रखाइन प्रांत में रहने वाला एक बांग्लाभाषी सुन्नी इस्लामिक समुदाय है, जिनको म्यान्मार ने अवैध बांग्लादेशी घोषित करते हुये 1982 में नागरिकता देने से इंकार कर दिया
↓
रोहिंग्या मुस्लिमों द्वारा इसका विरोध
↓

73

2. 10 जून, 2012– रोहिंग्या मुस्लिम एवं रखाईन बौद्ध में दंगा से रोहिंग्या समस्या प्रारंभ

74

3. भारत में भी रोहिंग्याओं का अवैध घुसपैठ और वर्तमान में भारत में भी 14000 वैध एवं 40000 से अधिक अवैध रोहिंग्या शरणार्थी

75

4. 31 जुलाई 2018 – भारत सरकार द्वारा अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने का निर्णय और संसद में राजनाथ सिंह का बयान - रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस म्यान्मार भेजा जायेगा

76

5. भारत सरकार के इस निर्णय का UN द्वारा तथा भारत के राजनीतिक दलों एवं संगठनों द्वारा विरोध और कहा गया कि- यह UN Convention on Refugee 1951 का उल्लंघन एवं अनैतिक

77

6. भारत का पक्ष
↓
- अवैध रोहिंग्या से उत्पन्न समस्याएँ तथा भारत UN Convention पर हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल नहीं है

78

7. 8 अप्रैल 2021– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं की रिहाई नहीं होगी–

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें वापस भेजा जा सकता है

79

**सुरक्षा चुनौतियाँ**
↓

80

1. इनका 'लश्करे-ए-तैयबा' एवं ISI से संबंधों की IB द्वारा पुष्टि
↓
इससे भारतीय सुरक्षा को खतरा

Dr. S. S. Pandey

81

2. भारत में आतंकवाद में वृद्धि का खतरा

[ बोधगया बम विस्फोट ]

3. भारतीय बौद्धों के खिलाफ हिंसा की संभावना

82

83

4. भारत में इनके द्वारा अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि

84

रोहिंग्या समस्या का समाधान एवं इनकी वापसी में बाधाएँ

85

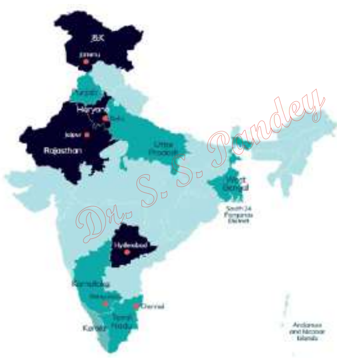

1. इनका भारत के विभिन्न राज्यों में बिखरा होना

86

2. भारतीय जनसंख्या के साथ इनकी नृजातीय समरूपता

फलत : भारतीय मुस्लिमों का इनके प्रति सहानुभूति एवं इनकी जबरन वापसी का विरोध

( 12 सितम्बर, 2017 – कलकत्ता में 18 मुस्लिम संगठनों द्वारा रोहिंग्या के समर्थन में जुलूस जिसमें 35000 लोग शामिल )

3. भारतीय जनसंख्या में इनका सात्मीकरण

87

4. राजनीतिक सहमति का अभाव

88

89

5. रोहिंग्या के बारे में म्यान्मार एवं बांग्लादेश का नकारात्मक रवैया

90

6. शरणार्थियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून

फलत : इनको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन

फलत : भारत पर नैतिक दबाव

91

## रोहिंग्या समस्या के समाधान हेतु प्रयास

96

मार्च 2024 – रोहिंग्या का पहला खेप वापस म्यान्मार भेजा गया

92

(i) 24 नवम्बर 2017– म्यांमार और बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों की संभावित वापसी का रास्ता तैयार करने के समझौते पर हस्ताक्षर

97

## समीक्षा एवं सुझाव

93

(ii) 11 अक्टूबर 2021– संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश की सरकार द्वारा बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या शरणार्थियों के मदद के लिए मिलकर काम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया

98

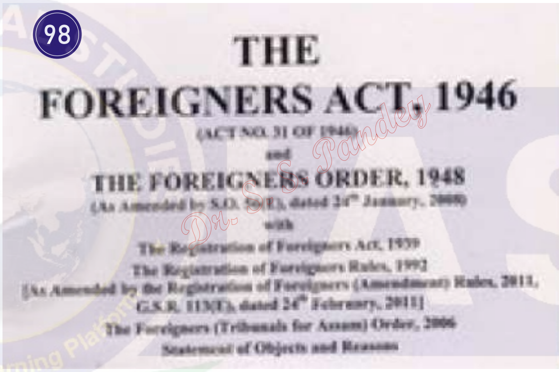
THE
FOREIGNERS ACT, 1946
(ACT NO. 31 OF 1946)
and
THE FOREIGNERS ORDER, 1948
with
The Registration of Foreigners Act, 1939
The Registration of Foreigners Rules, 1992
The Foreigners (Tribunals for Assam) Order, 2006
Statement of Objects and Reasons

1. वैधानिक रूप से भारत का यह निर्णय सही है (विदेशी विषयक अधिनियम, 1946)

94

(iii) बांग्लादेश सरकार द्वारा 19 हजार से अधिक रोहिंग्या को भासन चार द्वीप (Bhasan Char Island) पर बसाने का निर्णय

99

2. भारत के आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में भी यह कदम सही है

95

(iv) भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश और म्यांमार के सरकार के साथ बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का हल निकालने का प्रयास जारी

100

3. राष्ट्रवादी विचारधारा भी इसकी अनुमति प्रदान करता है

101

102

103

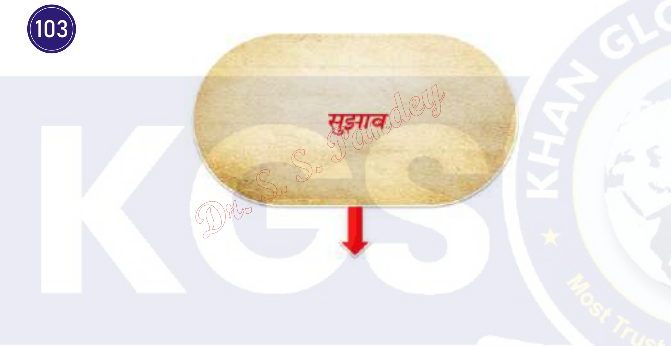


104

105

106

107

108

109

110

111

112

समस्या / सुरक्षा चुनौतियाँ

113

114

115

116

117

118

119

120

समाधान हेतु प्रयास

121

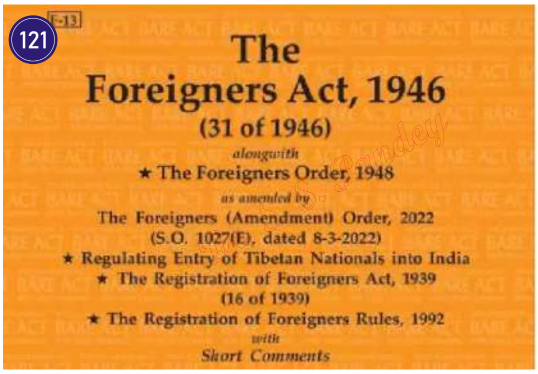


1. विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act - 1946)

122

2. अवैध प्रवासी अधिनियम, 1983 [Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act-1983]

[SC द्वारा 2005 में निरस्त ]

(BJP सांसद सर्वानंद सोनोवाल के याचिका पर )

123

3. जून, 2011 में 'भारत – बांग्लादेश सीमा प्रबंधन समझौता'

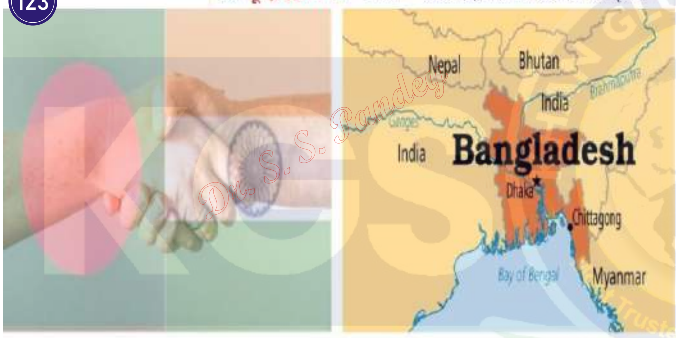


124

4. जून, 2015 में 'भारत – बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता'

125

NRC
NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

5. 16 दिसम्बर, 2014 में SC द्वारा केंद्र सरकार को 3 दिनों के अंदर भारत – बांग्लादेश सीमा पर बाड़ तथा तेज रोशनी वाली लाइटें लगाने का निर्देश व देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के लोगों की वापसी सुनिश्चित करने एवं अवैध घुसपैठ को रोकने का निर्देश एवं साथ ही 'नागरिकता अधिनियम' के Section-6 पर पुनर्विचार हेतु सुझाव

फलतः NRC के नवीकरण का कार्य प्रारंभ

126

127

1. सीमा सुरक्षा प्रबंधन में कमियाँ

128

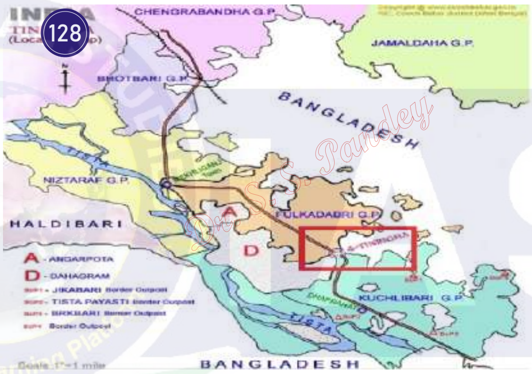


2. Enclaves तथा 3 बीघा गलियारा (अब समाप्त )

129

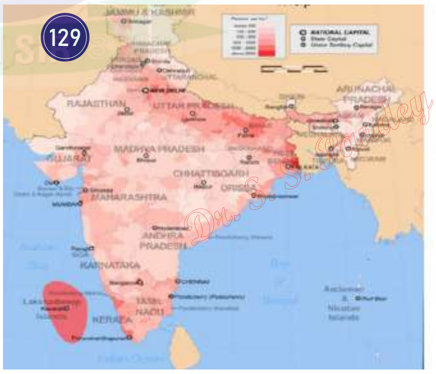


3. अवैध बांग्लादेशियों का भारत के विभिन्न राज्यों में बिखरा होना तथा भारतीय जनसंख्या के साथ सात्मीकरण

130

4. नृजातीय समरूपता

131

5. Vote-bank की राजनीति एवं सरकारी उदासीनता – (ममता बनर्जी, कांग्रेस आदि)

132

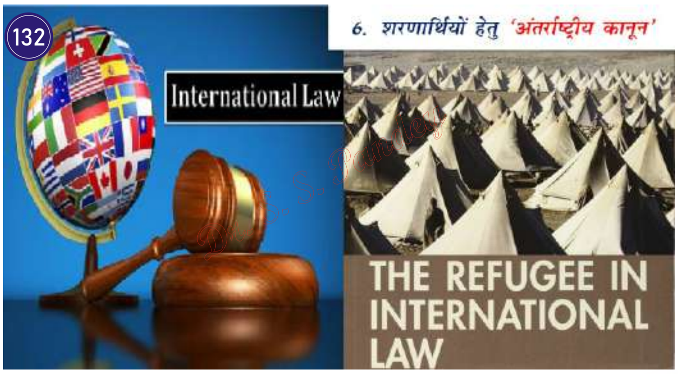


6. शरणार्थियों हेतु 'अंतर्राष्ट्रीय कानून'

133

(i) UN की 1948 की मानवाधिकार संबंधी घोषणापत्र

134

(ii) 1950 में शरणार्थियों के लिये UN उच्च आयोग

135

(iii) 1951 — UN Refugees Convention

(भारत हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं)

136

Note : असम में प्रचलित कहावत – "जब ढाका में कोई बच्चा पैदा होता है तभी उसका पंजीकरण बरपेटा (असम) में करवा दिया जाता है"

137

निष्कर्ष एवं सुझाव

138

1. 'सीमा सुरक्षा प्रबंधन' एवं 'मजबूत बाड़बंदी' से नये घुसपैठ को रोका जाये

139

2. मजबूत 'पहचान पत्र' एवं नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) का नवीकरण किया जाये

140

3. अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके एवं बांग्लादेश की सरकार से बात करके उनकी वापसी की प्रक्रिया को तीव्र किया जाये

141

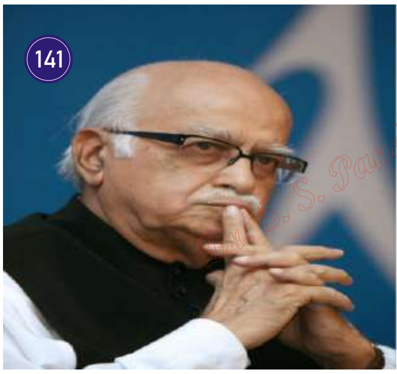

4. प्रत्येक सीमावर्ती राज्य के थानों में 'अवैध बांग्लादेशी प्रकोष्ठ' (Cell) का निर्माण किया जाये [SC] तथा 'Work Permit' देकर उनको संपूर्ण भारत में समायोजित किया जाये

[2001 में राजग सरकार में लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाली 'राष्ट्रीय सुरक्षा सुधार' से संबंधित मंत्रियों के समूह का सुझाव]

142

Note : 8 मार्च, 2017 : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिये सीमा पर बाड़ लगाने हेतु कोष जारी रखने का निर्देश दिया - जिसकी प्रगति की समीक्षा 'मधुकर गुप्ता समिति' करेगी

143

Dr. S. S. Pandey

National Register of Citizens (NRC)

↓

144

NRC का अर्थ

↓

145

National Register of Citizens (NRC)

1. NRC – राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) एक ऐसा रजिस्टर है, जिसमें सभी वैध भारतीय नागरिकों का नाम शामिल होता है

146

2. इसे पहली बार भारत की जनगणना के बाद 1951 में तैयार किया गया

147

NRC
NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

3. असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है

148

असम में NRC निर्माण प्रारंभ

↓

149

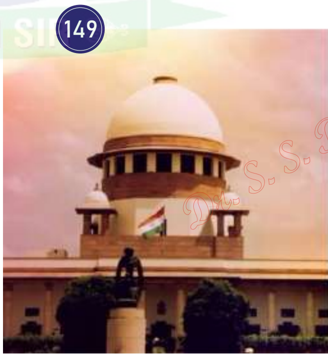

1. 16 दिसम्बर, 2014 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NRC निर्माण प्रारंभ

NRC
NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

150

2. 31 दिसम्बर, 2017

↓

- NRC की प्रथम सूची जारी – 1.90 करोड़ लोगों के नाम

151

3. 30 जुलाई, 2018

NRC का असम में अंतिम मसौदा जारी - 40 लाख से अधिक अवैध प्रवासी

Total Population ⇒ 3.39 करोड़ - 3.29 करोड़ आवेदन

Eligible Population for Citizen ⇒ 2.89 करोड़

केन्द्र सरकार का बयान ⇒ यह सूची अंतिम सूची नहीं है

156

8. 20 नवम्बर, 2019–

भारतीय गृहमंत्री का राज्यसभा में बयान कि– अवैध लोगों की पहचान के लिये पूरे देश में NRC लागू किया जायेगा - तब असम में भी प्रत्येक तहसील में Tribunal की स्थापना होगी और जिनका नाम NRC में शामिल नहीं है वो पुनः Tribunal के पास जा सकेंगे

152

4. NRC हेतु अर्हता :

- जिनके पूर्वजों के नाम 1951 के NRC में या 24 मार्च, 1971 तक के वोटर लिस्ट में हो
- 12 अन्य Certificate

157

निष्कर्ष / सुझाव

153

5. 19 सितम्बर, 2018

- सुप्रीम कोर्ट ने NRC से बाहर रहने वालों को 25 सितम्बर से दूसरा मौका देने का निर्देश दिया
- 25 नवम्बर, 2018 दावा की अंतिम तिथि
- 15 दिसम्बर, 2018 से सुनवाई, इसके बाद अंतिम NRC जारी

158

1. वैश्विक आतंकवाद की समस्या तथा अवैध घुसपैठ की समस्या को देखते हुये NRC लागू करना सही कदम (सुप्रीम कोर्ट)

154

6. 24 जनवरी, 2019 –

NRC की फाइनल रिपोर्ट की डेडलाइन को सितम्बर, 2019 तक बढ़ाने की माँग

सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया और कहा कि– 31 जुलाई, 2019 तक यह पूरी हो जानी चाहिये

159

2. परंतु .....

यह कार्य साम्प्रदायिकता एवं राजनीतिकरण से बचकर किया जाना चाहिये

155

7. 31 अगस्त, 2019 – NRC की अंतिम सूची जारी -

- 3,11,21,004 नाम शामिल और 0,19,06,657 नाम बाहर
- जिनके नाम सूची में शामिल नहीं है वो 120 दिनों के भीतर Foreign Tribunal में अपील कर सकेंगे तथा FT के निर्णय से असंतुष्ट होने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प

160

3. इसके लिये आवश्यक है कि..... इस पर जनमत निर्माण के साथ-साथ दलों की सहमति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाय

161

162

1. नागरिकता अधिनियम, 1955 भारत की नागरिकता प्रदान करने की अर्हता एवं अवैध प्रवासी की परिभाषा को सुनिश्चित करता है

163

2. इसके अनुसार..... वह अवैध प्रवासी है; जो-

(a) वो विदेशी जो बिना वैध पासपोर्ट या वैध यात्रा दस्तावेज के भारत आया है

(b) वो विदेशी जो वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रूका हुआ है

164

3. 1986, 1992, 2003 एवं 2015 में इसमें संशोधन किया गया

165

4. 1986 के संशोधन में 24 मार्च 1971 तक असम में आये लोगों को नागरिकता का प्रावधान

166

5. पुनः 11 दिसम्बर 2019 को भारत सरकार द्वारा इसमें संशोधन करते हुए नागरिकता ( संशोधन ) अधिनियम पारित

↓

10 जनवरी 2020 से लागू

↓

11 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी

167

6. इस अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन - जिसके निम्न प्रमुख प्रावधान–

↓

168

(a) अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदलाव और 31 दिसम्बर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आये हिन्दू, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन तथा पारसी को अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा

169

(b) 31 दिसम्बर, 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आने वाले हिन्दू, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन तथा पारसी को भारत की नागरिकता का प्रावधान

[ यदि वो भारत में 6 साल गुजार लेते हैं तो ( पहले यह अवधि 11 साल थी ) ]

170

(c) मुस्लिमों को यह सुविधा नहीं और उन्हें अवैध घुसपैठियाँ मानते हुये उनको हिरासत में रखने या वापस भेजने का प्रावधान

171

**भारतीय नागरिकता और संविधान में संशोधन**

(d) अनुसूची-3 में संशोधन और नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में रहने की 11 वर्ष की शर्त को 6 वर्ष घटाया गया

Note: धर्म के आधार पर नागरिकता देने से अनुच्छेद-14 का उल्लंघन का आरोप

172

सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतिया एवं प्रबंधन

**संभावित प्रश्न**

173

- सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास एवं राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार सीमा प्रबंधन से किस प्रकार संबद्ध है? भारत-म्यान्मार सीमा के संदर्भ में उत्तर दीजिए।
- भारत-बांग्लादेश से लगी 4096 किमी. लम्बी सीमा अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक बड़ी सीमा है। इस सीमा पर उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियाँ और इससे निपटने हेतु भारतीय प्रयासों की चर्चा कीजिए।

174

- भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवासन भारत के आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती है। इसे रोकने हेतु भारतीय प्रयासों की समीक्षा कीजिए एवं इस दिशा में उपयुक्त उपाय सुझाइये।
- भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा एवं समुद्री सुरक्षा के विशेष संदर्भ में 'भारत-बांग्लादेश सड़क सीमा समझौता' पर टिप्पणी कीजिए।

175

- उत्तर-पूर्व के राज्यों में अलगाववाद की समस्या के समाधान हेतु भारत से लगी बांग्लादेश एवं म्यान्मार सीमा का प्रबंधन कहाँ तक उपयोगी हो सकता है? हाल के कुछ उदाहरणों के संदर्भ में उत्तर दीजिए।
- 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' क्या है? सीमा सुरक्षा के लिए इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।